छत्तीसगढ़ विधान सभा

फरवरी-मार्च, 2013 सत्र

दैनिक कार्य सूची

सोमवार, दिनांक 18 मार्च, 2013 (फाल्गुन 27, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री विक्रम उसेण्डी, बन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 1956 (क्रमांक 1 सन् 1956) की धारा 619-ए की उपधारा (3) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य बन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

3. कार्यमंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति

4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री संतोष बाफना, सदस्य, प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में प्रयोगशाला परिचारकों एवं तकनीशियनों की भर्ती में अनियमितता किये जाने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) सर्वश्री भोलाराम साहू, शिवराज सिंह उसारे, रामदयाल उइके, सदस्य, राज्य लघु बनोपज संघ द्वारा तेंदूपत्ता नीलामी में अनियमितता किये जाने की ओर बन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

5. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 4 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री बृजमोहन अग्रवाल, संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान मंडल नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) (संशोधन) विधेयक, 2013 (क्रमांक 5 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमश: 2

(3) श्री बृजमोहन अग्रवाल,संसदीय कार्य मंत्री, छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन,भत्ता तथा पेंशन (संशोधन)विधेयक,2013 (क्रमांक 6 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(4) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ मंत्री (वेतन तथा भत्ता)(संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 7 सन् 2013) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(5) श्री रामविचार नेताम, उच्च शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षण के अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) (संशोधन) विधेयक,2013 (क्रमांक 8 सन् 2013)के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(6) डॉ. रमन सिंह,मुख्यमंत्री , छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन)विधेयक,2013 (क्रमांक 9 सन् 2013)के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

7. वर्ष 2013-2014 की अनुदान मांगों पर चर्चा

निर्धारित समय

(शेष चर्चा)

मांग संख्या	1	सामान्य प्रशासन
मांग संख्या	2	सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य व्यय
मांग संख्या	6	वित्त विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	31	योजना,आर्थिक तथा सांख्यिकी विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	60	जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय
मांग संख्या	12	ऊर्जा विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	25	खनिज साधन विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	32	जनसम्पर्क विभाग से संबंधित व्यय
मांग संख्या	71	सूचना प्रौद्योगिकी एवं जैव प्रौद्योगिकी
मांग संख्या	65	विमानन विभाग
मांग संख्या	48	तेरहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर प्राप्त होने वाला सहायता अनुदान

8. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-2) विधेयक, 2013 (क्रमांक 3 सन् 2013) का पुर:स्थापन *करेंगे.

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.

रायपुर
दिनांक 17 मार्च,2013

---

* मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात् .